Shri Humayun Kabir: I do not wish to provoke anybody. I would appeal to the hon. Members that I am not speaking in passion. I do not want to provoke anybody. I do not know why one hon. Member is trying to discover in my statement something which is not there. I would again appeal to the House that out of deference to your wishes, the whole House should accept the request which you have made and bring to a close the unseemly discussion which does not do any credit to any section of the House.

Mr. Speaker: Has the Leader of the House anything to say in the matter?

The Leader of the House (Shri Satya Narayan Sinha): I came to the House just now. I do not know what happened earlier.

Mr. Speaker: I have made an appeal twice that because it concerns me personally, I do not want to proceed with it personally and so that it may be dropped. The Leader of the House might consider it. Then, I will take the decision. Now, we will take up the motion by Shri Kachavalyya.

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, I would only request you to ensure that what happened yesterday, which was very unsual, does not happen today also. Yesterday, the Chairman, ruled twice that the debate on the Goa Opinion Poll Bill would be taken up today. So, those who had given notice of amendments left the House, left the Chamber and went home under the impression that it would be taken up today. That decision was later changed and the record shows that it was taken up at 7.20 p.m. I only want to ensure that the same thing does not happen today also. The full time of 2 hours or 2½ hours should be allotted for this discussion, and if it is not completed today, it should be taken up tomorrow morning, not later tonight, which will be very unfair to us. It is wrong to do such things.

Mr. Speaker: I will see. I have understood him. Now, Shri Kachhavaiyya.

Shri Sheo Narain: Now, what is the decision about the motion of Shri Dixit?

Mr. Speaker: I have asked the Leader of the House for his views. After hearing him, I will take it up at some other time.

15·45 hrs.

MOTIONS *RE*: INCIDENTS IN NEW DELHI ON 7TH NOVEMBER, 1966 AND *RE*: BANNING COW SLAUGHTER

श्री हुक्म चन्द कछवाय (देवास) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 7 नवम्बर, 1966 को नई दिल्ली में हुई घटनाओं के बारे में 9 नवम्बर, 1966 को गृह-कार्य राज्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

7 नवम्बर को संसद भवन के सामने जो प्रदर्शन हुआ और उसमें जो घटनायें हुईं और 9 नवम्बर को राज्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं . . (व्यवधान) कि देश के अन्दर यह भावना है कि गोवध देश के लिए बड़ा कलंक है। इस भावना को लेकर तथा उसको व्यक्त करने के लिये सारे देश से लोग यहां आये कि जो गोवध होता है यह देश के लिये कलंक है। उनके अन्दर यह भावना कुछ महीने पूर्व से ही चल रही थी, परन्तु इस प्रदर्शन . . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है ट्रेजरी बेंचेज पर एक ऐसे माननीय

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मेम्बर बैठे हुए हैं जो शायद मिनिस्टर नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको मिनिस्टर बना दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : शायद वह आ रहे हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस प्रदर्शन को किस प्रकार से फेल किया जाय इसकी योजना बहुत दिन पहले से बन रही थी। मैं ऐसे तथ्य रक्खूंगा जिससे यह साबित होगा कि आज यह बात बिल्कुल हमारे सामने आ गई है कि कांग्रेस के अन्दर जो आपसी झगड़ा चल रहा है उसके कारण से देश की गरीब जनता किस प्रकार से पीसी जा रही है, और 7 नवम्बर को जो घटनायें हुई यह झगड़ा ही उसका मूल कारण है।

केन्द्र में दो गुट हैं। एक नन्दा जी का गुट और एक दूसरा एल० पी० सिंह का है। इन दोनों गुटों में मतभेद होने के कारण यह दशा सामने आई है। एल० पी० सिंह को जो सपोर्ट थी वह प्रधान मंत्री की थी और उनकी सपोर्ट के कारण गृह मंत्री महोदय और उनमें आपस में बनती नहीं थी। गृह मंत्री ने कई बार उनको शिकायत भी की, लेकिन इस चर्चा में इस समय नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : आपको एहतियात से चलना होगा। जिस तरह से बात शुरू हुई है, आप ऐसे मामलों में जायेंगे जो यहां नहीं कहे जा सकते।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं तथ्य रक्खूंगा।

अध्यक्ष महोदय : तथ्य की चीजों को कहने में जो आप इल्जाम लगाते जायेंगे, वह ठीक नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इल्जाम की बात नहीं है, जो समाचारपत्रों में आया है उसको तो मैं कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसके लिये आप तैयार होंगे कि वह सारे इल्जाम आपके ऊपर डालेंगे। इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप इसमें सेक्रेटरी को ला रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : नन्दा जी ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : नन्दा जी ने लिखा होगा, लेकिन एल० पी० सिंह और प्राइम मिनिस्टर से क्या वास्ता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदर्शन को फेल करने के लिये किस ढंग से योजना बनी है। 2 नवम्बर को पश्चिम बंगाल के चौबिस परगना जिले के एक उच्च अधिकारी द्वारा कुछ कर्मचारी साथ में लाये गये और उनके यहां आने के बाद डी० एस० पी० और एस० पी० क्राइम्स दोनों ने बैठकर योजना बनाई। इस योजना के अन्दर 5 नवम्बर को 62 गुंडे और कुछ विरोधी तत्वों को बंगाल से बुलाया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 5 नवम्बर को यह गुंडे रेल द्वारा बंगाल से बुलाये गये और उसके बाद 6 नवम्बर को सुबह 272 गुंडे दिल्ली के पकड़ लिये गये। मैं सरकार से एक ही जानकारी चाहता हूं कि यह जो 272 गुंडे पकड़े गये उन में से केवल 80 गुंडे रक्खे गये और बाकी छोड़ क्यों दिये गये। ये अस्सी गुंडे और 62 गुंडे बंगाल से जो बुलाये गये थे, दोनों मिलाकर 142 होते हैं। और उनकी योजना बनी। आप यह भी देखें कि उस रोज, सात तारीख के रोज दिल्ली के कितने पुलिस वाले छुट्टी पर थे, कितने पुलिस वालों को छुट्टी दी गई। मैं कहना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा तादाद में भविष्य में कभी भी इतने कांस्टेबल्ज को छुट्टी नहीं दी गई थी

सरकार हाजरी का जो रजिस्टर होना है उसको निकाल कर देख सकती है. . . .

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में कभी नहीं दी गई ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा कहने का मतलब यह था कि पहले कभी नहीं दी गई। पिछले दिनों में कभी नहीं दी गई और मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि भविष्य में भी शायद न दी जाए । मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस बात की खोज करें कि कितने लोग उस रोज छुट्टी पर थे । क्यों ये छुटटी पर थे, इसका कारण क्या था ? जब इसका पता लगाया जाएगा तो जो तथ्य हैं वे आपके सामने आ जायेंगे । उनको यह बताया गया कि उनको सात तारीख को जो प्रदर्शन होने वाला है उसमें रहना है ।

15.5 hrs.

[SHRIMATI RENU CHAKRAVARTTY *in the Chair*]

ये जो गुंडे बुलाये गये थे और जो दूसरे लोग छांटे गए थे, अस्सी गुंडे दिल्ली के थे इसमें कुछ पुलिसमेन थे । पार्लियामेंट थाना जो है यहां उनकी दावत हुई थी, यहां उनकी रिहर्सल कराई गई थी और उनको यह बताया गया था कि इस प्रदर्शन को किस तरह से वे असफल करें, किस प्रकार से तोड़फोड़ करेंगे । इसके अलावा इन लोगों में से एक एक को 150 रुपये दिये गये थे और उनसे कहा गया था कि ये रुपये अपने पास रखो । बहुत से पुलिस वालों को यह लालच भी दिया गया था कि तुम्हारी तरक्की की जाएगी, तुम्हारा प्रोमोशन किया जाएगा, हर बात में तुम्हारी हिफाजत की जाएगी लेकिन तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें इस कार्य को बिल्कुल ईमानदारी से करना है । इतना ही नहीं उन लोगों से कुरान, गीता और रामायण वगैरह की सौगंध दिलाई गई थी और रिहर्सल करवाई गई थी कि सात तारीख वाले प्रदर्शन को उनको किस प्रकार बिगाड़ना है ।

जो आपसी झगड़े थे उस चक्कर में मैं इस वक्त पड़ना नहीं चाहता हूं । उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा । परन्तु यह सब काम योजनाबद्ध रूप में किया गया । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, प्रमाण देना चाहता हूं इसका क्योंकि मैं उस समय आकाशवाणी भवन पर मौजूद था जबकि आकाशवाणी भवन की जो इनक्वायरी है, जो इनक्वायरी दफ्तर है उसको आग लगाई गई थी । आग लगाने में यह जो कांस्टेबल मरा और जो सादे कपड़ों में था, वह भी सामिल था । स्वयं उसने आग लगाई । उसको गलती से गोली लग गई और वह मर गया । मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं । सरकार इनक्वायरी बिठाये और इसके अलावा और भी बहुत से तथ्य सरकार के सामने आ जायेंगे । पता नहीं सरकार इनक्वायरी बिठाने से क्यों डरती है ।

बाहर से जो इतनी ज्यादा संख्या में लोग बुलाये गये थे वे इसलिए बुलाये गये थे कि योजनाबद्ध रूप से जो काम है उसको किया जाए । भीड़ को हटाने के लिए जब गोली चलाई गई तो उसके पहले सूचना इसकी देनी जरूरी होती है । लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई । मैं यह सब इस आधार पर कह रहा हूं कि प्रारम्भ से लेकर अन्त तक जब कर्फ्यू लगा मैं उसी स्थान पर मौजूद था । मेरे साथ हमारे सदन के एक और माननीय सदस्य श्री नाथपाई भी मौजूद थे । वह बहुत बड़े लीडर हैं । आप यह भी बतायें कि कितने राउंड आपने चलाये और कितने गैस के गोले छोड़े । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 379 राउंड गोली चलाई गई तथा 754 आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे उस रोज । मैंने स्वयं उस पुलिस वाले की लाश को उठा कर ट्रक में रखा (**इंटरप्शंज**)

Mr. Chairman: Let there be no such emotions. Let the hon. Member speak. I will give an opportunity to other Members to refute the points being made by him.

Shri A. P. Sharma (Buxar): He should be told that he is addressing in the House and not in the street.

Mr. Chairman: That is known to everybody. It is not necessary for me to point that out. Apart from that, please remember that we have very little time. He will be allowed only 15 minutes. So, you should allow him to continue. I will allow opportunity to others also to speak.

Shri K. K. Verma (Sultanpur): On a point of order.

Mr. Chairman: Let him proceed. I will permit everybody whose name is put down here.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर बंगाल से उन लोगों को भी लाया गया जोकि पाकिस्तान की जासूसी करते थे। जिन लोगों को ऐरेस्ट किया गया था उनको भी लाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि सात तारीख को जो फायरिंग किया गया और उस फायरिंग में लोग मरे, उनकी संख्या कितनी थी, कितने लोग मरे। सरकार उनकी ठीक ठीक संख्या बताने से आनाकानी क्यों कर रही है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि जानबूझ कर इसको सरकार छिपा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि 122 लोग मरे हैं। मैं पूछता हूं कि इन 122 लोगों की लाशें कहां हैं। मैं इस का प्रमाण देने के लिये तैयार हूं कि 122 लोग मरे हैं और जो लाशें थी उनको बदरपुर में ले जाकर जो यहां से ग्यारह बारह मील दर है जला दिया गया, वहां उन लाशों को खड्ढों में गाढ़ दिया गया । क्या सरकार इस की खोज करने के लिये तैयार है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उस रोज कितना पैट्रोल, पैट्रोल स्टेशंज से लिया गया था, उसको भी बताया जाए। कितना पैट्रोल उन लोगों को जलाने में इस्तेमाल हुआ, इसको भी आप देखें। जब जांच होगी तो ये सारे तथ्य सामने आयेंगे । कितना पैट्रोल गाड़ियों की टंकियों में डलवाया गया था, जैरीकेंज में डलवाया गया था, ये सब तथ्य हमारे सामने आने चाहिये। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जोधपुर के श्री झूमरलाल आसोपा जोकि उस फायरिंग में मरे थे उनकी लाश कहां है । डाक्टरों के लिख कर देने पर भी उसकी लाश उसके लड़के को क्यों नहीं लौटायी गई ? डाक्टर के हाथ का लिखा हुआ है फिर भी आप उनकी लाश देने के लिये क्यों नहीं तैयार हुए? मैं आप से जानना चाहता हूं कि कहां है उनकी लाश? मैं पूछना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कहां है जिसका नाम सतीस कुमार जैन है जिस की टांग में गोली लगी थी, उसको मैंने अपने हाथ से उठा कर गाड़ी में रखा था। वह काली पैंट पहने हुए था। अठारह वर्ष का वह लड़का था। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया। जब मैंने उससे उसका पता पूछा तो उसने कहा, मान्यवर, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि मेरा पता यह है और मेरे घरवालों को मेरे बारे में खबर कर दो ; मैंने पुलिस वालों को कहा कि खबर कर दो लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं । मैं अस्पताल में भरती हूं। मेरे घरवालों को खबर कर दो कि मुझे वे देखने के लिये आयें। बाद में वह मर गया। मैं पूछता हूं कि उस व्यक्ति की लाश कहां है? उसकी मां का यह पोस्टर लिखा हुआ है। इस में उसकी फोटो भी दी गई है। इसकी लाश कहां है, मैं आप से पूछता हूं। यह कैसी राक्षसी सरकार बनी है जोकि लोगों की लाशें तक खा जाती है। उसकी मां तड़प रही है उसके लिये। आप जानते हैं कि इस लड़के का

बाप क्या था? इस लड़के का बाप 1942 के आन्दोलन में, कांग्रेस ने जो आन्दोलन चलाया था, जेल में गया था। काफी बार उसने जेल काटी है। ऐसे व्यक्ति के लड़के को आपने मारा है जिसका बाप अंग्रेजों से सदा लड़ता रहा है, जो आपने आन्दोलन शुरु किये थे, उनमें भाग लेता रहा है। उसकी लाश तक आपने नहीं लौटायी है। क्या कभी प्रजातंत्र में ऐसा होता है? कौन सा प्रजातंत्र का यह तमाशा है? क्या इस तरह का प्रजातंत्र आप देश में स्थापित करना चाहते हैं?

सारे झगड़े का कारण क्या है? इसका एक मात्र प्रमुख कारण यह है कि क्या आम चुनाव कराये जायें या न कराये जायें। श्री कामराज चाहते हैं कि आम चुनाव होने चाहियें, श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती हैं, नहीं होने चाहिए, श्री अतुल्य घोष चाहते हैं नहीं होने चाहियें, श्री डी० पी० मिश्र चाहते हैं नहीं होने चाहियें। इस वास्ते जो कहता है कि होने चाहियें उस को मिटा दो, उस को खत्म कर दो। ये सब जो तथ्य हैं ये तभी सामने आ सकते हैं जबकि इनक्वायरी कराई जाए।

एक और दर्दनाक घटना मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उन्नीस व्यक्तियों को चोटें लगी थीं, उन्नीस व्यक्ति इस तरह जो घायल हुये थे, उन्हें ट्रक के अन्दर उन्हें गाड़ी के अन्दर बिठा कर ले जाया गया और उनका गला घोंटकर उनको मार दिया गया। क्या इसी तरह से यह सरकार प्रजातंत्र को चलायेगी? इसी प्रकार से क्या यह सरकार चुनाव लड़ेगी? इसी प्रकार से कार्रवाई करेगी? इसी प्रकार शासन चलायेगी? यह ठीक नहीं है।

एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। आपने बड़े बड़े महारथियों को गिरफ्तार किया है। ऐसा करने के पीछे आपका एक विशेष हेतु है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को भी आपने गिरफ्तार किया है। उनको भी एक विशेष कारण से गिरफ्तार किया गया है। हमारे आदरणीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। सरकार और शासन के मन में इस को लेकर एक प्रकार का रोष था। सरकार चाहती है कि प्रधान मंत्री के खिलाफ कोई भी देश में चुनाव न लड़ सके। इसी बात को बतलाने के लिये उनको जेल में डाला गया है और किसी व्यक्ति को उन से मिलने भी नहीं दिया जाता। कोई व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता है। किस किस प्रकार से उन को यातनायें दी जा रही हैं, इसकी भी आप इनक्वायरी करेंगे तो सारे जो तथ्य हैं वे आपके सामने आयेंगे।

अब आप यह भी देखें कि सत्याग्रहियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। हजरत बाल चोरी चला गया था। सरकार ने तब घोषणा की थी कि जो हजरत बाल को ढूंढ़ निकालेगा उसे एक लाख रुपया दिया जायगा। केन्द्र के बड़े बड़े उच्चाधिकारी उस की खोज करने के लिये वहां पहुंचे। उस घटना के परिणामस्वरूप कितना दंगा-फिसाद हुआ और न जाने कितने हिन्दुओं को विवश हो कर पाकिस्तान से यहां आना पड़ा। जहां एक धर्म के लोगों की भावनाओं का इतना खयाल रखा जाता है, वहां हिन्दू धर्म का अपमान किया जाता है। हम ने देखा है कि श्री शंकराचार्य की गद्दी पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकते हैं, उनका अपमान किया जाता है, उन के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, धार्मिक स्थान पर जूतों सहित जा सकते हैं। क्या यह सब हिन्दू धर्म का अपमान नहीं है? दोनों धर्मों को बराबर माना जाना चाहिए, लेकिन सरकार एक धर्म के साथ पक्षपात करती है और दूसरे की उपेक्षा करती है।

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

15·45 hrs.

केन्द्रीय संसदीय कार्यसमिति द्वारा सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया कि देश में गो वध बन्द किया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि शासन ने उस प्रस्ताव को क्यों ठुकराया। उसको इसलिये ठुकराया गया, क्योंकि केन्द्रीय संसदीय कार्यसमिति और सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं और उनके बीच ठीक ताल-मेल नहीं है। केन्द्रीय संसदीय कार्यसमिति में जो नाना प्रकार के मतभेद हैं, उनके कारण यह सब गड़बड़ हो रही है।

हमारे नये गृह-मंत्री बड़े स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र से आया हूं, शिवाजी बन कर आया हूं।

एक माननीय सदस्य : कब कहा है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय सदस्य पता नहीं कौनसी दुनिया में सोते हैं ? अगर वह समाचार पढ़ें, तो उनको मालूम होगा।

शिवाजी ने तो एक गाय काटने वाले व्यक्ति का हाथ काट दिया था, लेकिन यह जो दूसरे शिवाजी आये हैं, उनके मातहत गायें तो कट ही रही हैं, परन्तु गाय को बचाने की मांग करने वालों को भी काटना प्रारम्भ कर दिया गया है। भगवे कपड़े पहने हुए जो साधू जगह-जगह से आते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। हैदराबाद से आने वाले कुछ साधुओं को रास्ते में ही पकड़ लिया गया।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि 7 नवम्बर की घटनाओं के बारे में न्यायिक जांच कराई जाये। मैं ने जो प्रश्न उठाये हैं और तथ्य रखे हैं, सरकार उनका उत्तर दे। विशेषरूप से पेट्रोल वाली बात की खोज करके उसका उत्तर दिया जाये।

Mr. Chairman: Items 22 and 23 are to be discussed together. This seems to be a novel procedure that has been adopted. So, I would request Shri Prakash Vir Shastri to take 10 minutes.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): Before that, the motion has to be moved formally and the amendments moved.

Mr. Chairman: Motion moved:

> "That this House takes note of the statement made by the Minister of State for Home Affairs on the 9th November, 1966, regarding certain incidents in New Delhi on the 7th November, 1966."

The hon. Members who would like to move their amendments may kindly send their amendment Nos. to the Table.

Now, Shri Prakash Vir Shastri. He should finish in 10 minutes.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मूवर को आधा घंटा दिया जाता है। आप श्री कछवाय और मेरे समय को मिला कर आधा घंटा कर दीजिए। मुझे पंद्रह मिनट मिलने चाहिएं। वैसे, मैं जल्दी समाप्त करने का यत्न करूंगा।

Mr. Chairman: Then, there will be no other speeches at all. Others must also have a chance. Otherwise, it will be only a one-sided affair. You can understand my difficulty. Both the items are to be discussed together. So, he should try to finish in 10 minutes.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति महोदय, भारतवर्ष में गाय के प्रति आस्था वैदिक काल से चली आ रही है। वेदों में गाय के सम्बन्ध में ये शब्द लिखे हुए हैं : "माता रुद्राण दुहिता वसूनां वसा आदित्यानाम्" हमने प्रारम्भ से ही गाय के सम्बन्ध में वे पवित्र सम्बन्ध रखे हैं, जो पुत्र और माता, भाई और बहिन और पिता और पुत्री में होते हैं।

जब से इस देश में गाय की हत्या प्रारम्भ हुई, उसी समय से उसकी हत्या को बन्द कराने के लिए आन्दोलन भी प्रारम्भ हुआ। मैं बहुत लम्बे-चौड़े उदाहरण न देते हुए मुगल-काल का केवल एक ही उदाहरण

देना चाहता हूं । बाबर के अपने हाथ से लिखा हुआ वसीयतनाम भोपाल की लाइब्रेरी में सुरक्षित है । उसमें बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं, को कहा कि अगर हिन्दुस्तान में देर तक हुकूमत करनी है, तो ये दो काम कभी न करना, एक तो गाय की हत्या न होने देना और दूसरे, हिन्दू धर्म-मन्दिरों का विनाश न करना । इससे पता चलता है कि मुगल-काल में भी मुगल शासक इस बात के लिए कितने सतर्क रहते थे कि गाय का वध न हो और उसकी रक्षा की यथेष्ठ व्यवस्था हो ।

ब्रिटिश काल में भी समय समय पर इस प्रकार के आन्दोलन चले । अमृतसर का कूका आन्दोलन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, जिस में सद्गुरु रामसिंह का बलिदान हुआ । 1857 का क्रान्ति के पीछे जो कारण थे, उन में से एक यह था कि उस समय बन्दूकों के लिए जो गोली दी गई, उस में गाय की चरबी इस्तेमाल होती थी, जिस से हिन्दु सिपाहियों की भावनायें उमड़ीं और उस से प्रभावित हो कर 1857 की क्रान्ति की चिंगारियां जगह जगह फैल गईं ।

1857 की क्रान्ति के बाद जब राजस्थान के पोलीटिकल एजेन्ट, कर्नल ब्रुक्स, राजस्थान से विदा हो कर जाने लगे, तो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भरी सभा में कर्नल ब्रुक्स को कहा कि महारानी विक्टोरिया को जा कर कहना कि अगर गो-हत्या का कलंक इस देश में से जल्दी न मिटा, तो इस देश में 1857 की पुनरावृत्ति फिर भी हो सकती है। उस के बाद स्वामी जी ने इस सम्बन्ध में लगभग दो करोड़ हस्ताक्षर करा कर 1883 के करीब ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजने का प्रयत्न किया, लेकिन उन का जीवनलीला बीच में ही रह जाने से उन का वह उद्देश्य पूरा न हो सका ।

इसी तरह गाय के प्रश्न को ले कर 1892 में बलिया में एक क्रान्ति हुई, जिसको देखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक डैलीगेशन आया । उस के बाद गाय के प्रश्न को ले कर 1917 में एक बड़ा आन्दोलन हुआ, जब कटारपुर में एक केस हुआ ।

मैं इस संसद् के माध्यम से यह सारा इतिहास सरकार को इस लिए बता रहा हूं कि कहीं यह समझ लिया जाये कि गाय की हत्या को बन्द कराने का आन्दोलन कोई नया है । इस आन्दोलन को सब से अधिक बल उस समय मिला, जब महात्मा गांधी ने इस आन्दोलन को अपने हाथों में लिया और इस आन्दोलन में मुसलमानों को सम्मिलित करने के लिए उन्होंने ख़िलाफ़त आन्दोलन का साथ दिया किया । मेरे हाथ में यह 1924 की छपी हुई पुस्तक है, जिस में लिखा हुआ है कि ख़िलाफ़त आन्दोलन के सम्बन्ध में जब किसी ने गांधीजी से पूछा कि विदेशों के आन्दोलन से हमारा क्या मतलब और आप तिलक स्वराज्य फंड का हमारा पैसा ख़िलाफ़त आन्दोलन में क्यों लगा रहे हैं ? तो गांधीजी ने उत्तर दिया कि मैं मुहम्मद अली और शौकत अली की ख़िलाफ़त मैया का इस लिए साथ दे रहा हूं, जिस से वे मेरी गाय मैया को बचायें ।

जिस समय हमारे देश में विभाजन की मांग बल पकड़ रही थी, तो मुस्लिम लीग से यह पूछा गया कि क्या वह किस शर्त पर विभाजन की मांग छोड़ सकती है । महादेव देसाई ने अपनी डायरी में यह घटना लिखी है कि मि० जिन्ना की ओर से जो तेरह शर्तें गांधीजी के पास आईं, इनमें से एक शर्त यह थी कि आजाद हिन्दुस्तान में मुसलमानों को गौकुशी की खुली छूट रहेगी । महादेव देसाई लिखते हैं कि गांधीजी ने यह कह कर उन शर्तों का पर्चा वापस कर दिया कि मैं गाय की गर्दन पर छुरी रख कर

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हिन्दुस्तान की आजादी नहीं लेना चाहता हूं।

मैंने यह पृष्ठ भूमि इसलिये बताई है, ताकि गाय की रक्षा के आन्दोलन को नया न माना जाये। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के पराधीन भारत में ये शब्द थे कि गाय के प्रश्न को लेकर हिन्दू ज्यादा जोश में न आयें, जिस दिन देश स्वतन्त्र होगा, उसी दिन एक कलम से गो-हत्या को रोक दिया जायेगा और भारतवर्ष में पहला कानून जो बनेगा, वह गोवध-बन्दी का होगा।

बीस वर्ष की निरन्तर इन्तजार के बाद जब इस देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं आई, तब राजनीतिक दलों से ऊपर उठे हुये कुछ सन्तों ने, जिनमें जगदगुरु शंकराचार्य, जैन मुनि सुशील कुमार और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आदि व्यक्ति सम्मिलित हैं, इस आन्दोलन को अपने हाथ में लिया।

हमारे देश में गोहत्या से कितना बड़ा ह्रास होता हुआ चला जा रहा है, मैं उसका कुछ मामूली सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 1940 में इस देश में गाय का दूध 7517 हजार टन होता था और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1961 में गाय का दूध हो रहा है 8538 हजार टन, यानी इन तीस सालों में गाय का दूध केवल एक हजार टन ही बढ़ पाया है। इससे ही अनुमान लगा लिया जाये कि इस देश में गोधन का कितना बड़ा ह्रास हो चुका है।

जहां तक संख्या की दृष्टि से गोवंश की हानि का संबंध है, 1951 में इस देश में 1553 लाख गायें थीं, जबकि 1961 में यह संख्या 1755 लाख है, यानी इस अवधि में गोवंश की वृद्धि केवल मात्र 12 प्रतिशत हुई है, जबकि दुनिया का रिकार्ड देखने से पता लगता है कि इसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि अवश्य होनी चाहिये थी।

उसका दुष्परिणाम यह है कि हमारे देश में आज सब मिलकर गाय, भैंस, बकरी वगैरह का जो दूध होता है उसमें पर कैपिटा खपत का सब मिलाकर है 4.9 औंस। लगभग 2 छटांक दूध प्रति व्यक्ति के हिस्से में आता है। लेकिन गाय का दूध तो इससे भी कम है। वह 3.28 ग्राम आ करके पड़ता है। इससे आप अन्दाज लगाइये कि हमारे देश में गोवंश का कितना ह्रास हुआ है जिसका दुष्परिणाम यह है कि आज खेती का यह हाल है कि ट्रैक्टर लगाने के लिये पैसा किसान के पास नहीं है और इतनी जमीन किसान के पास नहीं है कि वह ट्रैक्टर चलाये। पचास-पचास साठ-साठ बीघे खेत में कहां वह ट्रैक्टर चलायेगा और बैलों की जोड़ी इतनी महंगी हो गई है कि पन्द्रह-पन्द्रह सौ, दो-दो हजार रुपये में बैलों की एक जोड़ी आ रही है। आर्थिक दृष्टि से एक ओर सरकार कह रही है कि हम अन्न का उत्पादन बढ़ायें और दूसरी ओर इस प्रकार की दुरवस्था होती जा रही है। ऐसा सरकार को लाभ क्या है जिसके आकर्षण में आकर सरकार गो-हत्या को चालू रखना चाहती है? सरकार ने अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 65-66 में जो विदेशों को गाय का मांस भेजा गया वह कितना था। सरकार उत्तर देती है कि 65-66 में 325 लाख रुपये का यानि 3 करोड़ 25 लाख रुपये का गोमांस विदशों को भेजा गया। अगर इसी हिसाब से हम आंकड़े लगायें तो पिछले 20 वर्षों में 65 करोड़ के आंकड़े गोमांस के विदेशों में भेजने के आते हैं।

गांधी के देश के लिये आज इससे बड़ी लज्जा और शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती। इसी तरह से खालों के चक्कर में आकर के हमारे देश से लगभग 250 करोड़ रुपये की खाल गायों की विदेशों को भेजी गई। इस विदेशी मुद्रा के चक्कर में आकर के सरकार किस तरह से हमारे देश में गोवंश

का ह्रास जानबूझकर करती जा रही है उसी को मैंने कुछ प्रमुख आंकड़े दिये हैं।

एक और बात में कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ने अभी राज्य सभा में एक भाषण देते हुये कहा कि समझ में नहीं आता कि गोहत्या बंद करने का आन्दोलन चुनावों से पहले क्यों उठाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं कि चुनावों से पहले अगर केवल विरोधी दल के लोगों ने यह आन्दोलन उठाया होता तो कहा जा सकता था कि चुनावों को प्रभावित करने के लिये उठाया लेकिन कोई देखे चल कर जगद्गुरु शंकराचार्य को कौन सा चुनाव लड़ना है, जैनमुनि सुशील कुमार जी को कौनसा चुनाव लड़ना है? आचार्य विनोबा भावे को कौन सा चुनाव लड़ना है? जयप्रकाश नारायण को कौनसा चुनाव लड़ना है, जो यह कह करके इस आन्दोलन की पवित्रता को नष्ट किया जाता है कि चुनावों से पहले इस आन्दोलन को छेड़ा गया है? इसके अतिरिक्त अगर इसके दूसरे पक्ष को देखा जाय तो क्या जनता आप लोगों से यह पूछ सकती है हमने सुना है, पुराणों में एक इस प्रकार के नदी की चर्चा आती है, वैतरणी नदी पार करने के लिये गाय की पूछ पकड़ कर उसे पार करते हैं, आज तक मैंने देखा नहीं वैतरणी नदी कहां है लेकिन यह सरकार जो है, सत्तारूढ़ दल जो है वह हर चुनाव के अन्दर गाय के बच्चों की, बैलों की पूंछ पकड़ करके चुनाव की वैतरणी नदी को पार करती है। तो यह चुनाव में अनुचित लाभ उठा रहे हैं या यह लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं जो चुनाव से कोसों दूर रहना चाहते हैं?

एक बात बड़ी विचित्र कही जाती है कि अगर हम गोवध को बन्द कर दें तो उसका दुष्परिणाम यह होगा कि सूखी गायों और बूढ़े बैलों का भार देश पर आकर पड़ेगा। मेरे पास विस्तृत समय नहीं है कि जिससे मैं विस्तार से समझाऊं लेकिन मेरा अपना एक सुझाव है। गांधीजी के एक शिष्य थे बंगाल के। उनका नाम था सतीश चन्द्र दास। उन्होंने बड़े अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखी थी—काऊ। उसका अनुवाद हिन्दी में भी गाय नामसे छपा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सूखी गायों और बूढ़े बैलों का अगर सामूहिक रूप से पालन किया जाये तो वह देश के ऊपर कभी भार नहीं पड़ेंगे। बल्कि देश के लिये लाभदायक सिद्ध होंगे। ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। लेकिन सरकार ने इस प्रकार की आवश्यकता को कभी अनुभव ही नहीं किया। दूसरा मेरा कहना यही है कि आज जो हिन्दू भावना में आकर यह कहते हैं कि हम इस देश में गोहत्या बन्द होनी चाहहिये। उनसे आप यह कह सकते हैं कि आपके मन्दरों में खर्च के अतिरिक्त जितनी आय है उस आय को आप इस गोवंश के पालन के निमत्त दीजिये ताकि सरकार के ऊपर इनका बोझ न पड़े और उस आय से हम इस देश के अन्दर सूखी गायों और बूढ़े बैलों का पालन कर सकें। फिर उनकी हार्दिक भावना भी देखिये कि केवल गोहत्या बन्द करने का आन्दोलन ही वह करना चाहते हैं या उनकी हार्दिक इच्छा भी सक्रिय रूप इसके साथ है?

अन्तिम बात एक विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह कि प्रधान मंत्री जी ने कहा, मैंने भी एक पत्र उनको लिखा, मेरे पत्र के उत्तर में भी उन्होंने लिखा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी यह है। संविधान की धारा 46 में जहां यह लिखा है कि राज्य सरकारे गोवध को बन्द करेंगी वहां राज्य की व्याख्या जो है वह संविधान की धारा 12 में है और संविधान की धारा 12 में जो राज्य की व्याख्या है उसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य से अभिप्राय विधान मंडल, प्रान्तों की सरकार, पार्लियामेंट और केन्द्र की सरकार यह सारे के सारे राज्य शब्द के अन्दर आ जाते हैं। तो यह कह करके सरकार अपनी जिम्मे-

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दारी से क्यों भागना चाहती है ? लेकिन इसके बाद भी अगर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो मैं कहता हूं कि देश के इतने बड़े जनमत का आदर करते हुए सरकार यह निर्णय ले सकती है कि संविधान में जहां उन्होंने 21–22 बार संशोधन किया है वहां एक संशोधन यह भी अगर करते हैं तो उसमें क्या कठिनाई है ? अगर गोआ के अन्दर जनभावना जानने के लिए एक विधेयक ला कर गोआ में जनमत कराया जा सकता है तो देश में कितनी जनता आज इस प्रकार की है कि जो गोवध बन्द करने के पक्ष में है उसको जानने के लिए देश में जनता का मत क्यों नहीं जाना जा सकता ? गृह मन्त्री ने 4 नवम्बर को कहा हम ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है । लेकिन शिंदे साहब ने 29 नवम्बर को जवाब दिया है कि 6 में से 3 राज्यों ने अभी तक उत्तर दिये हैं । यानी राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया 4 नवम्बर से पहले और 29 नवम्बर को इन्हीं की सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री कहता है कि 6 में से 3 राज्यों ने उत्तर दिया है । इस से मालूम पड़ता है कि कितनी राज्य सरकारों की लापरवाही इस में चल रही है ? राज्य सरकारें इस में तत्परता से काम नहीं ले रही हैं तो देश की भावना का आदर करते हुए क्यों नहीं केन्द्र इस प्रकार का कानून बनाता है जिससे इस प्रकार की स्थिति बने और गोवंश की हत्या बन्द हो ?

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि संघ शासित क्षेत्रों में अब तक क्या किया ? इन में जब केन्द्रीय सरकार स्वयं कानून लागू कर सकती है तो अब तक वहां क्यों नहीं लागू किया ? इससे केन्द्रीय सरकार के मन का चोर मालूम पड़ता है ।

यहां एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूं और वह यह कि मेरे मित्र श्री हुकम चन्द कछवाय ने कहा कि 7 नवम्बर की जो घटना घटी है उस की न्यायिक जांच कराने से जो सरकार हट रही है उस से लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम पैदा होते जा रहे हैं कि सरकार जानबूझ कर इस से बच रही है क्योंकि उस में सरकार के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति फंसेंगे, सरकार के कुछ विभाग फंसेंगे, सरकार के कुछ जिम्मेदार अधिकारी फंसेंगे । इस से न्यायिक जांच कराने में सरकार डर रही है । मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार से अवश्य कहना चाहूंगा कि 7 नवम्बर के प्रश्न में, दिल्ली के अन्दर पार्लियामेंट हाउस के सामने इतने प्रदर्शन हुए, लेकिन आज तक इतनी भारी संख्या में गोली चलना, इतने लोगों का मारा जाना, इस तरह का खून बहना, यह पहली अपने ढंग की घटना थी । पंजाब के अन्दर लाला लाजपत राय की कमर में सात लाठियां लगी थी और लाला लाजपत राय ने मरते समय कहा था कि मेरी कमर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक एक कील बन कर गड़ेगी । वही बात मैं दोहराना चाहता हूं । 7 नवम्बर को पार्लियामेंट हाउस के सामने जो साधुओं का खून बहा है वह इस गवर्नमेंट के अत्याचार को ही नहीं, इस गवर्नमेंट को भी समाप्त करके छोड़ेगा जो गोहत्या के प्रश्न पर इतनी जिद पकड़े हुए है और देश की भावना का आदर करने के लिए तैयार नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इस को उपस्थित करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि गृह मन्त्री और भारत सरकार इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये और देश में गाय के प्रश्न पर जो एक भयंकर तनाव की स्थिति बनने जा रही है वह न बनने दें । जगदगुरु शंकराचार्य पुरी वालों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है । ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी को आप ने गिरफ्तार किया । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन को इलाहाबाद आने के लिए आर्डर दे कर के सरकार के मुंह पर करारी चपत दी है । मगर सरकार की समझ में नहीं आया । 107 के अन्दर गाय के प्रति सहानुभूति रखने वाले जिन लोगों को दिल्ली के अन्दर गिरफ्तार किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने उन को छोड़कर सरकार के मुंह पर करारी चपत लगायी लेकिन

इस के बाद भी केन्द्रीय सरकार सही रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं है । मैं चाहता हूं कि गाय जैसे पवित्र प्रश्न को हठ का और प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाया जाये बल्कि इस के ऊपर शांति और गम्भीरता के साथ विचार किया जाये और जल्दी ही इस प्रश्न का समाधान कर लिया जाये। जिससे साधु महात्मा जो अनशन और उपवास--इस मार्ग पर चलने के लिए विवश हो गये हैं उन को इस प्रकार की आवश्यकता न पड़े ।

Mr. Chairman: Motion moved:

"That this House takes note of statement made by the Minister of Home Affairs on the 4th November, 1966, regarding banning cow slaughter."

Dr. Singhvi has intimated that he wants to move his amendments to both these motions. So, they will be treated as moved.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): I beg to move—

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"and calls upon the Government to—

(a) release all those against whom there is no direct or definite evidence of involvement in committing violence;

(b) hold an independent inquiry into the circumstances leading to the firing and the disturbances on the 7th of November, 1966;

(c) institute an impartial juridial inquiry into the number of deaths caused as a result of police firing and the cremation of dead bodies without reference to the next of kin and without even establishing the identity of the dead bodies; and

(d) publish a white paper on the incidents on the 7th November, 1966."

That at the end of the motion, the following be added namely:—

"and is of opinion that—

(a) the statement does not adequately reflect an understanding of the public sentiments throughout the country;

(b) certain States have not yet enacted suitable legislation to ban cow slaughter; and

(c) prohibition of cow slaughter cannot be effective except by an all-India ban;

and calls upon the Government forthwith to accept the demand for an all-India ban on cow slaughter in principle and to take steps to implement the same at the earliest."

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना): सभानेत्री जी, 4 नवम्बर को इस सदन में भूतपूर्व गृह मंत्री श्री नन्दा जी ने आश्वासन दिया था कि जहां तक गोवध का प्रश्न है, इस को सरकार ने बड़ी गम्भीरता से लिया है और केन्द्र द्वारा प्रशासित जितने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बहुत शीघ्र ही गोवध बन्द कर दिया जायगा और कुछ ऐसे प्रदेश हैं, शायद दो तीन--जिनके मुख्य मंत्रियों से वार्ता हो रही है । चूंकि संविधान में गाय का सम्बन्ध राज्यों से है, इसलिये राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातें हो रही हैं, बहुत शीघ्र ही हम एक अच्छे परिणाम पर पहुंचेंगे । मैं समझता हूं कि धरती, संस्कृति धर्म, ये सब मानव के विकास की कहानी से जुड़े हुए हैं, हमारे ऊपर संस्कृति का भी प्रभाव है, धर्म का भी प्रभाव है और प्रभाव है उन सब मूल्यों का जिन से हमारा जीवन बंधा हुआ है । गाय के सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, लेकिन गाय को राजनीति की तुला में तौलने का प्रयास क्यों किया जाता है ? गाय को संस्कृति के प्रतीक की बात कह कर, धर्म के प्रतीक की बात कह कर, आन्दोलन करना, लारियों और बसों से लोगों को इकट्ठा

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

करना और जब मैंने सदन में पूछा कि ये गो-भक्त कौन थे, तो मालूम हुआ कि इस प्रदर्शन की आज्ञा प्राप्त करने वाले दो हैं--जन संघ और आर० एस० एस० . . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय : गलत बात है, आप रिकार्ड मंगाइये तो मालूम पड़ेगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : यह बात यदि गलत होगी तो गृह मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, वे इस का स्पष्टीकरण करेंगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : वे पेपर मंगायें, जिस पर आर्डर दिये गये थे, उन पर किस का नाम है और उस को सदन के सामने रखिये, तब मालूम पड़ेगा कि किस के नाम हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : पाण्डे जी, मैं घोषणा करता हूं कि इस आन्दोलन और सत्याग्रह को चलाने वाला आर्य समाज है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : आप आर्य समाज को क्यों लाते हैं, वह तो हमारे मस्तक पर है । आर्यसमाज को इस में मत लाइये, आर्य समाज जैसी पवित्र संस्था, जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, हमारे स्वामी दयानन्द जी ने आर्य संस्कृति के लिये जो कुछ कहा है, उसको इस में मत लाइये । इस में जो लोग हैं, उनका वृतांत मैं बताये देता हूं . . . . . (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप मुझे एड्रेस करें ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : गोवध बन्द होना चाहिये, इस में दो रायें नहीं है, लेकिन यह इन से पूछें कि उसकी पूछ पकड़ कर, आन्दोलन कर के, साधुओं को चाहे जैसे साधू हों, चाहे वस्त्र धारण किये हुए हों या निर्वस्त्र हों, हमारी संस्कृति यह है कि साधु सामने आये, तो उसके सामने मस्तक झुकाया जाता है--उन को त्रिशूल पकड़वाकर क्या कराया गया, महाविनाश का ताण्डव कराया गया हमारे धर्म पर एक धब्बा लगाया गया, हमारे मानव-मूल्यों पर एक धब्बा लगाया गया । मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप यह समझते हैं कि गाय के नाम पर यह काम अनुचित हुआ है, त्रिशूल लेकर संस्कृति पर धब्बा लगाया गया है, धर्म को धब्बा लगाया गया है, मानवता को धब्बा लगाया गया है, हम उसको कन्डेम करते हैं, इस को आप खड़े हो कर कहें

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हम उसको कण्डम करते हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : शास्त्री जी, आपने ऐसा कहा है मैं आपको साधुवाद देता हूं ।

श्री बड़े (खारगोन) : हम ने उसी रोज स्टेटमेंट निकाला था . . . . (**व्यवधान**)

श्री राम सहाय पाण्डेय : मैं जानता हूं कि शास्त्री जी उस दिन वहां मंच पर थे, इन का बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ था मैं इन को सधुवाद देता हूं कि इन्होंने तुरन्त हिंसात्मक कार्यवाहियों का विरोध किया, न केवल विरोध किया, बल्कि निन्दा भी की । आपके दिमाग में गऊ से ज्यादा राजनीति भरी हुई है . . . .

श्री बड़े : आपके दिमाग में है । मध्य-प्रदेश में क्या हो रहा है, वह आपके सामने है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय: चुनाव की बात छोड़िये, वहां तो हम लड़ लेंगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : गाय के बेटे के नाम पर वोट आप मांगने जाते हो ।

श्री राम सहाय पांडेय : इन बातों से गोवध बन्द नहीं होगा, गोवध बन्द करने का निर्णय हम को लेना है, गृह मंत्री को लेना है, इस सरकार को लेना है। गोवध बन्द होगा, अवश्य बन्द होगा, शाश्वत रूप से बन्द होगा और यह सरकार करेगी ....

श्री बड़े : चुनाव से पहले बन्द होगा या बाद में बन्द होगा?

श्री राम सहाय पांडेय : चुनाव की छोड़िये, इस का चुनाव से क्या सम्बन्ध है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : वोट तो उन्हीं से मांगते हो।

श्री राम सहाय पांडेय : इस का धर्म और संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री काशी राम गुप्त : सभापति महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चुनाव के बाद यह सरकार यहां रहेगी या नहीं, यह तो पता नहीं है, इस लिये 15 अप्रैल से पहले पहले अगर सरकार इस को करेगी तब तो कुछ बात है।

सभापति महोदय : यह प्वाइंट आफ आर्डर की बात नहीं है। यह आपके भाषण की बात है।

श्री राम सहाय पांडेय : चुनाव के बाद यह सरकार भी रहेगी और गाय भी रहेगी, लेकिन ये नहीं रहेंगे, इस का मुझे अफसोस है।

श्री हुकमचन्द कछवाय : यह तो वक्त बतायेगा कि कौन रहनेवाला है।

श्री राम सहाय पांडेय : सरकार भी रहेगी और गाय भी रहेगी, इस देश का धर्म भी रहेगा, इसकी संस्कृति भी रहेगी, इस का प्रजातन्त्र भी रहेगा और हम भी रहेंगे, तुम नहीं होगे, इस का अफसोस हम को तब भी रहेगा।

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर): वह कह रहे हैं कि आप भी रहेंगी।

श्री राम सहाय पांडेय : गाय के संरक्षण का जहां तक सम्बन्ध है, चाहे विरोधी दल हो या हम हों हम सब उस भावना का आदर करते हैं, आचार्य, मनिषी और साधुओं का हम सब आदर करते हैं, जिनकी भावना है कि गऊ वध बन्द हो और इस लिये इस बड़े सदन के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो उपवास कर रहे हैं, वे अपने उपवास को छोड़ दें।

श्री बड़े : शंकराचार्य को जेल में भेज कर ऐसा कहते हैं

श्री राम सहाय पांडेय : जो हिंसा के मार्ग पर जा कर गोवध को बन्द कराना चाहते हैं, वे शांति और अहिंसा का मार्ग अपनायें, धर्म और संस्कृति को धब्बा नहीं लगने दें, जितनी भी समस्यायें हैं, हम आपकी, विरोधी दल की हर बात मानने को तैयार हैं। यदि शांति के साथ, आस्था और विश्वास के साथ, अमन के साथ इस को किया जाय, तो गऊ के सम्बन्ध में मेरी भी वही राय है कि गऊ का संरक्षण होना चाहिये।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि देश के तमाम मठों से निवेदन किया जाय, तमाम साधुओं से निवेदन किया जाय, महात्माओं से निवेदन किया जाय कि कम से कम एक ऐसी गाय को वे रखें, जो गाय दूध न देती हो, जो सूखी हो, दूध देने वाली गाय को रखने वाले बहुत लोग हैं, इस लिये मैं उन से यह निवेदन करना चाहता था।

एक निवेदन और है इस सदन के माध्यम से। जितने धार्मिक कोष हैं उनका केन्द्रीयकरण किया जाय, बड़े बड़े पिंजरापोल खोले जांय इस प्रकार की गायों के संरक्षण के लिये

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

और मठों का पैसा इस में लगाया जाय, केन्द्रीय सरकार भी उस में दे, जनता भी दे और इस प्रकार से राष्ट्रीय गऊ संरक्षण के लिये यह कोष बनाया जाय। जितने हमारे पांच लाख भाई यहां जो यहां प्रदर्शन के लिये आये थे, यदि एक एक गाय उनको दे दी जाय तो पांच लाख गायों की व्यवस्था हो सकती है। जहां हम गऊ-बध का विरोध करते हैं, गऊ-बध बिल्कूल समाप्त हो जाना चाहिये, वहां हमारी एक बड़ी चिन्ता है और वह यह है कि गाय, जिस को हम माता कहते हैं, उसका संरक्षण कैसे हो। यदि यह कोष बन जाय और इस कोष के साथ साथ जितनी बड़ी बड़ी संस्थायें हैं, पिंजरापोल हैं, उन के बड़े बड़े ट्रस्टीज से कहा जाय कि चार-चार, पांच-पांच गाय अपने संरक्षण में लें तो यह समस्या हल हो सकती है। यहां पर गउओं से दूध लेने और पीने की बात नहीं है, उन के संरक्षण की बात है।

श्री हुकम चन्द कछवाय: आपके पास कितनी गायें हैं?

श्री राम सहाय पाण्डेय: मेरे पास गाय नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय: कागज के बैल बोलते हैं।

श्री राम सहाय पांडेय: मेरे पास गाय नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरी गऊ-भक्ति की तारीफ़ नहीं करते हैं। मेरे पास गाय नहीं है, लेकिन तब भी आपको इस बात पर प्रसन्नता होनी चाहिये कि मेरी गो भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, उत्तम है, आपसे कम नहीं है।

दूसरा निवेदन यह है, और मैं गृह मंत्री जी से भी कहूंगा, कि वार्ता कर के समझा बुझा कर के, जो हमारे आचार्य मनीषी लोग हैं, जैसे कि जगद्गुरु शंकराचार्य हैं वह बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, सब लोग उन को मानते हैं उन से कहें कि वह अपना आग्रह छोड़ दें और हमें इस काम में मदद करें। साथ ही जितने भी लोग गिरफ्तार हैं, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसे, उन को छोड़ दिया जाय। तब फिर साथ बैठ कर के एक टेबल पर इस समस्या का समाधान हम को ढूंढ कर निकालना चाहिये। अगर हम ऐसा कर सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं गृह मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि वह मुख्य मंत्रियों को समझा बुझा कर इस प्रश्न का समाधान कर ही डालें क्योंकि यह भावना की बात है। और जब यह भावना प्रधान बात है तो जन-रंजन और जन मानस प्रजातन्त्र का आधार हो, इस की भी सिद्धि होनी चाहिये। इस लिए राज्य राजनीति से हट कर गाय को देखें। गाय के लिये संरक्षण कोष बनाए, सूखी गाय का हम पालन करें और जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनायें गायों के साथ निहित हैं उन का आदर करें।

इन शब्दों के साथ ही मैं समझता हूं कि इस तरह के राजनीतिक आन्दोलन करने वालों से अगर गाय की पूछ पकड़ कर वोट मांगने वालों से जनता जागरूक रहेगी।

16.32 hrs.

RE: BUSINESS OF THE HOUSE

Mr. Chairman: Shri Ranga.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) क्या बैल की जोड़ी को हटायेंगे। (**व्यवधान**)।

Mr. Chairman: Order, order. We will have to take up private Members' Bills now.

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): What about this discussion?

Mr. Chairman: It will continue tomorrow.